अनुदान संख्या 8 - औषध निर्माण विभाग
GRANT No. 8–DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	160,26,00	108,66,75	–51,59,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			51,20,69
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–	30,07,00	24,40,00	–5,67,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,67,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	825.00	538.28	534.39	–3.89
पु.	R.	–286.72			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1553.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1553.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	13648.00	10367.03	10332.36	–34.67
पु.	R.	–-3280.97			

(I) 1553.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''औषध निर्माण उद्योग औषध और औषध निर्माण - राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1553.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" –"Pharma Ind. Drugs and Pharma - National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER)"– due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - औषध निर्माण विभाग'' के अंतर्गत 290.61 लाख रु. की बचत (825.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Department of Pharmaceuticals" – saving of Rs.290.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.825.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''औषध निर्माण उद्योग - औषध एवं औषध निर्माण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2852" – "Pharma Industries – Drugs and Pharmaceuticals" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण'' - 325.79 लाख रु. की बचत (851.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टाफ कार, टेलीफोन, वृत्तिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)" – saving of Rs.325.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.851.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards staff cars, telephone, professional services and economy measures.

(खा) ''औषध निर्यात संवर्धन स्कीम'' - 2987.11 लाख रु. की बचत (4850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न होने की वजह से

(B) "Pharmaceutical Export Promotion Scheme (PEPS)" – saving of Rs.2987.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4850.00 lakhs) was due to non-finalization of new schemes

औषध निर्माण स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "औषध निर्माण संवर्धन एवं विकास स्कीम'' - 112.74 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यशालाएं, सम्मेलन एवं संगोष्ठियां कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2852'' - औषध निर्माण उद्योग - औषध और औषध निर्माण - राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 110.00 लाख रु. का अधिक व्यय (7747.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

of Pharma owing to non-completion of procedural formalities.

(C) "Pharmaceutical Promotion and Development Scheme" – saving of Rs.112.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to conduction of less number of workshops, conferences and seminars.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2852" – "Pharma Industries - Drugs and Pharmaceuticals – National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER)" – excess of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7747.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "6857'' रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू.	O.	3007.00	2440.00	2440.00	. .
पु.	R.	–567.00			

(I) 2006.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 2002.00 लाख रु. अकेले "औषध तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड'' के अंतर्गत एरीथ्रोमाइसिन थायोसायनेट के उत्पादन से संबंधित परियोजना के लिए योजना आयोग और स्थायी वित्त समिति का

(I) Provision of Rs.2006.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these Rs.2002.00 lakhs alone accounted for under "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Antibiotics Limited" – due to delay in receipt of approval of Planning Commission and Standing

अनुमोदन प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

4. उपर्युक्त बचतें ''औषध तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - बंगाल रसायन तथा औषध निर्माण लिमिटेड'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 1439.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1001.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाएं चालू किए जाने के लिए आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडीय समिति द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Finance Committee for the project relating to production of Erythromycin Thiocynate.

4. The above savings were partly offset by excess under "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited" – excess of Rs.1439.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1001.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for Rehabilitation Package approved by Cabinet Committee on Economic Affairs for commissioning of projects.